आईएफसीआई लिमिटेड
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनःएल 74899 डीएल 1993 जीओआई 053677

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पद्धति और कार्य-विधि संहिता

(भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (अंदरूनी ट्रेडिंग निषेध) के विनियमन, 2015 के विनियम 8(1) के अधीन)

I प्रस्तावनाः

1. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पद्धति और कार्य-विधि संहिता भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (अंदरूनी ट्रेडिंग निषेध) के विनियमन, 2015 के विनियम 8(1) के अधीन सूत्रबद्ध की गई है, जिसमें कम्पनी के निदेशक बोर्ड के लिए "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पद्धति और कार्य-विधि संहिता" को बनाने का प्रावधान किया गया है

2. यह संहिता 15 मई, 2015 से लागू हो जाएगी ।

II अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पद्धति और कार्य-विधि संहिता के प्रयोजनों हेतु निष्पक्ष प्रकटन के सिद्धांत

इस संहिता में ऐसी घटनाओं एवं स्थितियों, जो कि बाजार में कम्पनी की प्रतिभूतियों के मूल्य की जानकारी को प्रभावित कर सकती हैं, के निष्पक्ष प्रकटन के लिए एक ढांचा व पॉलिसी बनाने पर विचार किया गया है । बाजार में मूल्य की जानकारी पर संभवतया प्रभाव डाल सकने वाली घटनाओं एवं स्थितियों का निष्पक्ष प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी का निदेशक बोर्ड भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड(अंदरूनी ट्रेडिंग निषेध) के विनियमन, 2015 की अनुसूची ए में अभिव्यक्त अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए पद्धति और कार्य-विधि संहिता का पालन करेगी ।

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि चुनिंदा प्रकटनों से बचने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का तुरन्त एक समान व व्यापक प्रसार किया जाएगा ।

2. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के प्रसार तथा प्रकटन के संव्यवहार के लिए कम्पनी सचिव को मुख्य निवेशक सम्पर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है ।

3. यह सुनिश्चित किया जाए कि यह ज्ञात होने पर कि आईएफसीआई की प्रतिभूतियों के मूल्य को संभावित तौर पर प्रभावित कर सकने वाली विश्वसनीय एवं पुष्ट सूचना विद्यमान है अथवा विद्यमान होने वाली है, तो उस स्थिति में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को सामान्य तौर पर उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त सार्वजनिक प्रकटन कर दिया जाएगा ।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का, जो चुनिंदा तौर पर अथवा अनजाने में प्रकट हो गई है, स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से तुरन्त प्रसार किया जाएगा व सामान्य तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

5. कम्पनी सुनिश्चित करेगी कि समाचार रिपोर्ट और बाजार में फैली अफवाहों के सत्यापन के लिए नियामक प्राधिकारियों से प्राप्त किसी भी अनुरोध का तुरन्त समुचित व निष्पक्ष उत्तर दिया जाएगा ।

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को विश्लेषकों और शोध

कार्मिकों के साथ साझा नहीं किया जाएगा ।

7. यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का अनुपालन किया जाएगा कि विश्लेषकों के साथ हुई बैठकों और निवेशक सम्पर्क सभाओं के प्रसार की कार्रवाई की रिकार्डिंग/प्रतिलिपि को कम्पनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

8. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को ज्ञात होने की आवश्यकता है, आधार पर निपटाया जाएगा ।

****